भारत संघ इत्यादि

बनाम

राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड इत्यादि व अन्य 25 जुलाई, 2001

(बी. एन. किरपाल, एन. संतोश हेगड़े और के. जी. बालाकृष्णन, न्यायाधिपतिगण)

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रणः उपकर अधिनियम, 1977:

धारा 16 (2) अनुस्ची.1 में संशोधन - वे इकाईयां जो उन उद्योगों से उपकर की उगाही व कर का आंकलन जिन्हें अनुस्ची-1 में दर्शाया गया है - प्रारम्भ जल विद्युत शिक उद्योग को अनुस्ची एक में शामिल नहीं किया गया है - अधिस्चना सं. जीएसआर 377 (ई) दिनांक 16.04.1998 जारी कर ऐसे जल विद्युत शिक उद्योगों पर उपकर लगाया गया। चुनौती देने पर उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 16 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी, जब अनुस्ची एक में संशोधन किया गया।

अभिनिर्धारितः

उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह तय किया कि उपकर का प्रारम्भ किया जाना विधि के अनुकूल नहीं था। यद्यपि अधिसूचना को संसद के समक्ष रखा गया, लेकिन उक्त संकल्प को पारित करने की ओर कोई कदम नहीं उठाये गये। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह अनुसूची इस अधिनियम का वैध संशोधन था। विधान - किसी अधिनियम का संशोधन - पर्यावरण विधि।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार - दीवानी अपील सं. 2885/2000

(हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी रिट याचिका 403/1997 में किये गये निर्णय में आदेश दिनांक 11.10.1999 के तहत)

और

दीवानी अपील सं. 4659-4668/2000 एवं

दीवानी अपील 4516/2000 तथा 4517/2000

श्री डी. एस. मेहता, के. के. वेणुगोपाल, सुश्री सुनीता राव, सुश्री, सुषमा राव, सतीष के. अग्निहोत्री, सुश्री अग्नि योगमाया अग्निहोत्री, अनिल के. पाण्डे, नरेष के षर्मा, ध्रुव मेहता, एन. एस. बावा, एन. डी. कालरा, सुश्री करण नेहरा, सुश्रीषोभा, अनिल नाग, अषोक कुमार गुप्ता, पुडुसरी, सुषील कुमार जैन, सुश्री जयश्री आनंद, जगजीत एस. चंद्र, वी. के. षेलेन्द्र, कृष्णन वेणुगोपाल, आर. एस. सूरी, महावीर सिंह, एस. बी. उपाध्याय व राजीव नंदा उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्न आदेश प्रसारित किया गया।

दीवानी अपील सं. 2885/2000 व 4659-4668/2000

इन मामलों में जो लघु प्रश्न विचार हेतु उत्पन्न हुआ है वह यह है कि क्या जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 (इसे हम आगे अधिनियम कहेंगे) के तहत वैध उपकर लगाया जा सकता है जो जल विद्युत शक्ति उद्योगों पर लागू है।

उपरोक्त अधिनियम को इस कारण प्रख्यापित किया गया कि उपकर लगाया जाकर वह उन इकाईयों से वसूल किया जाय जो प्रदूषण फैला रही है।

इस प्रकार से प्राप्त धनराशि सक्षम अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। ताकि वे इसके संबंध में उपाय कर सकें। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हर उस व्यक्ति द्वारा उपकर देय था जो कोई भी विशिष्ट उद्योग चला रहा था तथा प्रत्येक स्थानीय निकाय वस्त्री कर सकता था। शब्द विशिष्ट उद्योग की परिभाषा धारा सी में दी गई है का तात्पर्य यह है कि वह उद्योग जो अनुसूची एक में वर्णित है।

जब यह अधिनियम लागू किया गया तब जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने वाले उद्योग अनुसूची एक में शामिल नहीं थे। इन उद्योगों पर उपकर लगाने के लिए एक विज्ञित सं. जीएसआर 377 (ई) 16.04.1993 को प्रसारित की गई जो इस अधिनियम की धारा 16 के तहत थी।

प्रत्यर्थी ने उपकर लगाने के जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर उपकर लगाने को रिट याचिकाएं प्रस्तुत कर चुनौती दी। अन्य आधारों के अतिरिक्त यह तर्क प्रत्यर्थी की ओर से दिया गया कि अनुसूची एक अधिनियम का वैध संशोधन नहीं हुआ। अतः कोई उपकर नहीं लगाया जा सकता। कई तर्कों में से यह एक तर्क था जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर यह निष्कर्ष दिया कि जब अधिनियम की अनुसूची एक को संशोधित किया गया, तब धारा 16 के प्रावधान की पालना नहीं की गई।

इन अपीलों में विद्वान अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि एक अधिसूचना धारा 16 के संदर्भ में जारी कर दी गई है तथा मामला सदन की एक समिति को सौंप दिया गया है जो यह बताता है कि धारा 16 के प्रावधानों की यथेष्ट पालना कर दी गई है और संशोधन को इस तरह मानना चाहिए कि वह अनुसूची एक में शामिल हो गया।

धारा 16 इस प्रकार है। अनुसूची एक में संशोधन करने की शक्तियां (1) केन्द्र सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना जारी कर अनुसूची एक में किसी भी उद्योग को शामिल कर सकता है जो जल उपभोग पर आधारित हो व उक्त

उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक तथा उस जल के परिणामस्वरूप स्नाव होने से किसी भी झरने या नाले के प्रदूषित होने की संभावना होने पर अनुसूची एक में धारा 16 की उपधारा 2 के तहत संशोधन होना माना जाएगा।

"2. ऐसी सभी अधिसूचनाएं संसद के दोनों सदनों में रखी जाएंगी यदि उनका सत्र चल रहा है। यह कार्य जल्द से जल्द विज्ञित जारी करने के बाद किया जाएगा तथा यदि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है तो उसके कार्यवाही प्रारम्भ होते ही सात दिन के भीतर रखे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार सदन की अनुमित लेकर इस अधिसूचना के बारे में एक प्रस्ताव 15 दिन के भीतर पारित करेगी। जिस दिन अधिसूचना सदन के समक्ष रखी जाती है। यदि संसद अधिसूचना में कोई परिवर्तन करती है या यह निर्देष देती है कि अधिसूचना कोई प्रभाव नहीं रखेगी तो अधिसूचना सदन के संशोधन के अनुसार होगी अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे भी हालात हों, परंतु किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होकर उक्तानुसार उसकी वैधता के संबंध में पूर्व में कुछ भी किया गया हो।"

उपधारा 1 केंद्र सरकार को अनुसूची एक में किसी उद्योग को डालने की अनुमित देता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया उपधारा 2 में दी गई है। जब कोई अधिसूचना जारी की जाती है जिसका आशय अनुसूची एक में कुछ जोड़ना है तो उसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा जब उसकी बैठक चल रही हो। लेकिन यदि संसद का सदन सत्र चालू नहीं हुआ है तो एक सात दिन की वक्त की परिसीमा निर्धारित की गई है। जब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हो। जिसके भीतर अधिसूचना सदन के समक्ष रखी जाएगी। उपधारा दो यह भी चाहती है कि अधिसूचना के सदन के समक्ष रखने के 15 दिन के भीतर

सदन से केंद्रीय सरकार को उसका अनुमोदन लेना होगा। मात्र उपधारा 2 के देखने से यह प्रतीत होता है कि सदन द्वारा अनुमोदन का सकारात्मक अनुमोदन होना चाहिए। तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसूची एक का संशोधन हो गया है। मात्र अधिसूचना का सदन के समक्ष रख देना धारा 16 (2) यथेष्ट पालना नहीं है यह सही है कि इस बात की समय - सीमा नहीं है कि जिसके भीतर संसद के सदनों को केंद्र सरकार का प्रस्ताव पारित करना है लेकिन यदि एक बार केंद्र सरकार ने उपधारा 2 के तहत अधिसूचना का प्रावधान पारित करने के लिए संकल्प प्रस्तुत कर दिया है तो उसे निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा। वर्तमान मामले में अभिवचनों से यह जाहिर होता है कि इस प्रकार का कोई अनुमोदन नहीं चाहा गया है।

रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने डाॅ. जगराम अतिरिक्त निदेषक पर्यावरण व वन विभाग केन्द्र सरकार ने अपना शपथ पत्र 19.7.99 प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्र के पेरा 4 में -

"5 व 7 जुलाई 1999 की सुनवाई के दौरान ऊपर वर्णित शपथ पत्र दिनांक 09.12.1998 के पेरा 5 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इस संबंध में प्रत्यर्थी का कथन है कि वांछित अभिलेख व संसद के बुलेेटिन परिक्षित किये गये। यह पाया गया कि कोई ऐसा प्रस्ताव उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 16.4.1993 के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया।"

हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम इस शपथ पत्र की सत्यता न माने। यह कथन स्पष्ट व असंदिग्ध है। विशेष तौर पर इस बिंदु पर कि इस अधिसूचना के संबंध में कोई प्रस्ताव इस अधिसूचना दिनांक 16.4.93 प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं रखा गया। यदि कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं गया तो सदन द्वारा इसे अनुमोदित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि प्रथम कदम इस अधिसूचना को संसद के दोनों सदनों में रखने का कार्य किया जा चुका था। परंतु बाद में प्रस्ताव को पारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम यह विचार करें कि प्रस्ताव नहीं रखने का क्या प्रभाव है। क्योंकि इसे धारा 2 में बतायी गयी निश्चित 15 दिन की अविध में पारित नहीं किया गया। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी हुई हो।

वास्तव में तथ्यों के अनुसार इस आवश्यकता की पालना नहीं की गई। क्योंकि प्रस्ताव रखा ही नहीं गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम की अनुसूची एक का वैध संशोधन हुआ हो। उच्च न्यायालय ने हमारी राय में सही निर्णय दिया है कि यह उपकर तथा उसके तहत वसूली गई राशि विधि अनुकूल नहीं थी।

अपीलों को तदनानुसार खारिज किया जाता है लेकिन हर्जे का कोई आदेश नहीं किया जाता।

सिविल अपील सं 4516 - 4517

उपरोक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए इन अपीलों को भी खारिज किया जाता है लेकिन हुर्जे के बारे में भी कोई आदेश नहीं किया जाता।

अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।